न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 25/2012

1. हीरा लाल पुत्री खीया
2. प्रभु पुत्र धन्ना
3. लक्ष्मण पुत्र रतना
4. रामदीन पुत्र छीतर
5. रामदेव पुत्र हरजी
6. गुमान पुत्र गोपी
7. महेन्द्र पुत्र रघुवीर
8. बीरम पुत्र धर्मा जी

समस्त जाति रावत निवासी मुहामी तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. सूजा पुत्र जुवारा
2. गोपाल पुत्र नन्दा
3. बिरमा पुत्र नन्दा
4. गंगाराम पुत्र छोटू
5. बरजी बेवा छोटू
6. श्रवण पुत्र रोडा मृतक जरिये कायम मुकाम

   6/1 श्रीमती पन्नी बेवा श्रवण मृतका

   6/2 सीताराम पुत्र श्रवण

   6/3 प्रभु पुत्र श्रवण

   समस्त जाति रावत निवासी मुहामी जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
3. अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: आदेश :–

दिनांक– 04.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मुहामी तहसील अजमेर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 3199 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी राजस्व अभिलेख में सिवायचक बारानी तृतीय दर्ज थी। उक्त आराजी

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

विपक्षीगण को कभी भी खातेदारी की नहीं रही और न ही विपक्षीगण का कभी आराजी पर कब्जा रहा। बल्कि उक्त आराजी निकटवर्ती तालाब में गॉव के मवेशियो को जाने हेतु आती थी मवेशी उक्त रास्ते से ही तालाब में जाया करते थे। उक्त रास्ते की भूमि जिस पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं था को प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर द्वारा गलत रूप से बिना मौका परीक्षण किये दिनांक 18.1.96 को नियमन किये जाने के आदेश पारित कर दिये। नियमन आदेश दिनांक 18.01.96 के सीरियल नम्बर 11 में आराजी खसरा नम्बर 3199 सम्पूर्ण को अप्रार्थीगण को 1/4–1/4 हिस्सा दिखाते हुये नियमन किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जबकि प्रत्येक नियमन अलग अलग किये जाने चाहिये थे। नियमन आदेश दिनांक 18.01.96 गलत तरीके से नियमों के विपरीत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण जिनकी समीपवर्ती की खातेदारी की आराजी है एवं प्रार्थीगण के मवेशी एवं गॉव के काश्तकारों के मवेशी उक्त आराजी में से होकर तालाब में पानी पीने जाते है। इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा उसके बावजूद जो अप्रार्थीगण को आवंटन/नियमन किया गया व निरस्त करने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम मुहामी तहसील अजमेर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 3199 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी राजस्व अभिलेख में सिवायचक बारानी तृतीय दर्ज थी। उक्त आराजी विपक्षीगण को कभी भी खातेदारी की नहीं रही और न ही विपक्षीगण का कभी आराजी पर कब्जा रहा। बल्कि उक्त आराजी निकटवर्ती तालाब में गॉव के मवेशियो को जाने हेतु आती थी मवेशी उक्त रास्ते से ही तालाब में जाया करते थे। उक्त रास्ते की भूमि जिस पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं था को प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर द्वारा गलत रूप से बिना मौका परीक्षण किये दिनांक 18.01.96 को नियमन किये जाने के आदेश पारित कर दिये। नियमन आदेश दिनांक 18.01.96 के सीरियल नम्बर 11 में आराजी खसरा नम्बर 3199 सम्पूर्ण को अप्रार्थीगण को 1/4–1/4 हिस्सा दिखाते हुये नियमन किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जबकि प्रत्येक नियमन अलग अलग किये जाने चाहिये थे। नियमन आदेश दिनांक 18.01.96 गलत तरीके से नियमों के विपरीत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण जिनकी समीपवर्ती की खातेदारी की आराजी है एवं प्रार्थीगण के मवेशी एवं गॉव के काश्तकारों के मवेशी उक्त आराजी में से होकर तालाब में पानी पीने जाते है। प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.96 बिना परीक्षण किये बिना मौके की जॉच किये नियमन आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि नियमन किये जाने वाले काश्तकारो को नियमन कराये जाने का कोई अधिकार नहीं था। न तो उनके खाते में पूर्व में खातेदारी की आराजी थी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

और न ही जिस आराजी को नियमन किया गया वह खातेदारी में रही है। ऐसी स्थिति में जारी किया गया परिपत्र दिनांक 24.11.92 वर्तमान अप्रार्थीगण पर लागू नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो परीक्षण किया गया और नही मौके की जॉच की गई। वस्तुस्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 सूजा के खाते में पूर्व से ही 47 बीघा उसी गॉव में खातेदारी में है। नियम 20 के तहत मात्र भूमिहीन को ही आराजी का नियमन किया जा सकता है। जब पूर्व से ही अप्रार्थी के खाते में 47 बीघा आराजी है तो वह नियमन का पात्र नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी संख्या 2 के पिता नाहरा वल्द कामड कौम रावत के हिस्से में पूर्व से ही उसकी खातेदारी में 18 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उसे भी भूमिहीन मानते हुये नियमन का पात्र नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी संख्या 4 गंगाराम पुत्र छोटू एवं बरजी बेवा छोटू भूमिहीन नहीं माने जा सकते क्योंकि गंगाराम राजकीय सेवा में 18.10.84 से ही कार्यरत है। राजकीय कर्मचारी होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं माना जा सकता ना ही वह नियम 11 के तहत नियमन का पात्र माना जा सकता है। राजकीय सेवा में कार्यरत होने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। राजकीय सेवा में होने के कारण नियमन का पात्र नहीं होने के आधार पर नियमन निरस्त किये जाने योग्य है। गंगाराम व श्रीमती बरजी के खाते में 31 बीघा 14 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है उक्त स्थिति में भी वह नियमन के पात्र नही माने जा सकते। शेष अप्रार्थीगण श्रवण पुत्र रोडा के वारिसान है इनके पिता के खाते में वरवक्त नियमन आदेश 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। उक्त स्थिति को देखते हुये भी नियमन आदेश सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण नियमन के पात्र नहीं माने जा सकते। उपरोक्त समस्त आवंटियों को आवेटन नियम 1970 के नियम 2 (iii B) के तहत दी गई भूमिहीन की परिभाषा में भूमिहीन काश्तकार नहीं माना जा सकता। सारी कार्यवाही फर्जकारी करके व मिथ्या कथन करके नियम विरूद्व की गई है। गंगाराम पुत्र छोटू राजकीय सेवा में सेवारत है जिसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता। नियम 2 (iiiB)(A) के तहत नियमन का पात्र नहीं माना जा सकता। प्रभारी अधिकारी जी ने नियमन पात्रताओं से नियमों के तहत न तो नियमन का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और न ही कोई नियमन किये जाने वाली भूमि की लिस्ट बनाई फौरी तौर पर खानापूर्ति कर बिना परीक्षण किये बिना कब्जे की जॉच किये नियमन आदेश पारित कर दिया। आवंटन नियम 1970 के तहत पूर्व से भूमि खाते में होने पर भूमिहीन की पात्रता नहीं मानी जा सकती जबकि नियमन योग्य व्यक्ति को नियम 20 के तहत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में समस्त आवंटियों के पास पूर्व से ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज थी जो नियमन की पात्रता नही रखते थे ऐसी स्थिति में किया जाने वाला नियमन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियमन किये जाते वक्त न तो पटवार हल्का द्वारा आराजी का मौका देखा गया और न ही कब्जे की जॉच की गई जबकि उक्त आराजी जो नियमन की गई है वह माईली गवाडी व लम्बडदार परिवार के कुओं पर जाने का रास्ता होकर माता जी के मन्दिर होते हुये मजरा ग्राम धामेडी में जाने का रास्ता है। इसके अलावा नियमन की गई आराजी पर कभी भी विपक्षी आवंटियों द्वारा कब्जा नही किया और न ही कब्जा रहा। ऐसी स्थिति में नियमन शर्तो के विपरीत होने से व नियमन शर्तो की पालना नहीं करने से किया गया नियमन आदेश निरस्त किये जाने

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

योग्य है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3199 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी का नियमन एक ही आदेश में चार अलग अलग व्यक्तियों को कर दिया ऐसी स्थिति में प्रार्थी को एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। नियमों के तहत प्रत्येक अलग अलग नियमन आदेश को अलग अलग नियमन आदेश से नियमन किया जाना चाहिये। एक ही आदेश में नियमन नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.1.96 की कम संख्या 11 के नियमन की गई आराजी खसरा नम्बर 3199 का आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त कराये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड, दस्तावेज अनुसार व अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 गंगाराम जो कि राजकीय सेवा (शिक्षा विभाग) में कार्यरत होने के उपरान्त भी नियमन किया गया जो नियम विरूद्ध हैं। अतः वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज की जावें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 भूमि आवंटन/नियमन के समय शिक्षा विभाग में कार्यरत था। राजकीय सेवा में होने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 11 एवं नियम 2 (iii-ख) तथा उप नियम (क) के तहत अप्रार्थी पात्र व्यक्ति नहीं था। उपरोक्त नियमों में राज्य सरकार या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों या फर्मो का कर्मचारी को भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों या फर्मो के कर्मचारी को इस नियम के अन्तर्गत सिवायचक भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06/3 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.05.2012 को एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 व 06/2 एवं 06/3 जरिये अधिवक्ता दिनांक 20.07.2012 को उपस्थित होने के उपरान्त भी आदिनांक तक प्रार्थना पत्र तथ्यों का कोई जवाब/ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का आवंटन/नियमन तथ्यों को छिपाकर, कपट पूर्वक, दुष्प्रेरणा से कराया गया है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान पंचायत समिति श्रीनगर के आदेश दिनांक 18.01.1996 में ग्राम मुहामी तहसील अजमेर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 3199 रकबा 11–16–10 का अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त कर उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अजमेर प्रश्नगत भूमि को सिवायचक दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर